केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नाम या उपनाम बदलने हेतु विलेख

इस विलेख के द्वारा मैं अधोहस्ताक्षरी.............(सही नाम).............जिसको अब तक..........(पूर्व नाम)........ से जाना जाता था। मैं ....(मंत्रालय/विभाग का पूरा पता).................. में............(कर्मचारी द्वारा धारित पदनाम).......... .... के पद पर कार्यरत यह शपथ लेता/लेती हूँ कि :-

1. मेरे पूर्व नाम ....के उपयोग को पूरी तरह से त्याग/परित्याग/छोड़ दिया जाए तथा उसके स्थान पर उसी तिथि से मुझे ....के नाम से ग्रहण/मान लिया जाए और इसके बाद मुझे पूर्व के नाम ....से बुलाया/जाना/प्रसिद्ध/मशहूर नहीं किया जाए और मुझे मेरे कल्पित/ग्रहीत किए गए नाम .... से जाना जाए।
2. मेरे इस तरह के अपने दृढ़ संकल्प को प्रमाणित करने के लिए, मैं यह घोषणा करता /करती हूं कि मैं इसके बाद कभी भी किसी अभिलेख, कार्य और लेखन में तथा किसी कार्यवाही, व्यवहार और व्यवहार में (निजी तथा सार्वजनिक रूप से) एवं सभी अवसरों पर जो भी उपयोग और हस्ताक्षर करता/करती हूं तो उसे मेरे पूर्व नाम .... के स्थान पर मेरे नाम .... के रूप में जाना/माना जाए।
3. सभी व्यक्तियों और प्राधिकारियों से यह स्पष्ट रूप से अनुरोध है कि वे मुझे यहाँ से, अब से, भविष्य में हमेशा मेरे ग्रहित/कल्पित नाम .... से नामित और संबोधित करें।
4. जिसके साक्षी में मैं आज दिनांक .... को अपने पूर्व नाम .... और ग्रहित नाम ....(जिसको मैंने अभी तक अपनाया है) के नाम पर अपनी मुहर लगाता/लगाती हूँ।

पुराना हस्ताक्षर ....
नया हस्ताक्षर ....

उपरोक्त नाम .... तथा हस्ताक्षर .... की उपस्थिति में औपचारिक रूप से प्रदत्त किया गया।

गवाह/साक्षी संख्या:- 1 (संबन्धित विभाग/कार्यालय/मंत्रालय के राजपत्रित अधिकारी)

हस्ताक्षर ________________________________पदनाम ______________________________________

कार्यालय का पता (रबर स्टांप सहित)_________________________(राजपत्रित अधिकारी)______________

मोबाइल संख्या :- __________________________

गवाह/साक्षी संख्या:- 2 (संबन्धित विभाग/कार्यालय/मंत्रालय के राजपत्रित अधिकारी)

हस्ताक्षर ________________________________पदनाम ______________________________________

कार्यालय का पता (रबर स्टांप सहित)_________________________(राजपत्रित अधिकारी)______________

मोबाइल संख्या :- __________________________

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 190016/1/87-स्था. की प्रति।

गृह मंत्रालय के दिनांक 3 नवंबर, 1948 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 60/274/48/स्था. के तहत दिनांक 24 मार्च, 1952 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 87/52/स्था. में संशोधित सरकारी कर्मचारियों द्वारा नाम बदलने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। सरकार को हाल ही में कुछ मामलों के अनुभव के आलोक में इन निर्देशों की समीक्षा करने का अवसर मिला तथा यह पाया गया कि निर्देश अधूरे हैं क्योंकि वे कुछ स्थितियों को आवरण नहीं करते हैं। अतः इस विषय पर पिछले सभी आदेशों के अधिक्रमण में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया है।

I नाम/उपनाम में जोड़ने/हटाने या परिवर्तन के सभी मामले :-

i. सरकारी कर्मचारी जो अपने मौजूदा नाम को बदलना/परिवर्तन/संशोधन करना चाहता/चाहती है, वह अपना नाम औपचारिक रूप से एक विलेख द्वारा ऐसा कर सकता/सकती है। नमूना विलेख प्रपत्र संलग्न है।

ii. विलेख निष्पादन के पश्चात सरकारी कर्मचारी अपने स्वयं के खर्च पर प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र के साथ-साथ भारत के राजपत्र में परिवर्तन का प्रकाशन करवा सकता है।

II सरकारी महिला कर्मचारी के उनके विवाह, पुनर्विवाह के कारण केवल उपनाम में संशोधन / परिवर्तन।

i यदि सरकारी महिला कर्मचारी अपने उपनाम परिवर्तन करना चाहती है, तो उसे अपने विवाह की औपचारिक सूचना उनके नियुक्ति प्राधिकारी को देनी चाहिए और अपने उपनाम में परिवर्तन करने के लिए उनसे अनुरोध भी करना चाहिए ।

ii सेवा पंजिका में आवश्यक प्रविष्टियाँ दर्ज करने के लिए पति का विवरण दिया जाना चाहिए ।

III महिला सरकारी कर्मचारी के पति की मृत्यु/ तलाक/अलग होने पर उनके उपनाम का विलोपन या विवाह-पूर्व के नाम के प्रत्यावर्तन की अनुमति दी जा सकती है, यदि महिला सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित सूचना देती है ।

i वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना देती हैं। तथा

ii अपने विवाह-पूर्व नाम में प्रत्यावर्तन करने के लिए औपचारिक अनुरोध करती है ।

नोट:- मद संख्या II तथा III के लिए कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है।

2. कृषि मंत्रालय इत्यादि से अनुरोध है कि उक्त निर्देशों की सूचना एवं अनुपालन हेतु अपने नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों के जानकारी एवं अनुपालन में लाएं।

ह०/-

(अ. जयरमन)

निदेशक